

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

54 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

तारीख दायरा

14.06.2023

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

05.10.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री अरुण कुमार जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन निवासी सी-46 पटेल नगर देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मोतीलाल कमलेश कुमार बस स्टैण्ड देवली जिला टोंक
- 2-मैसर्स मोतीलाल कमलेश कुमार बस स्टैण्ड देवली जिला टोंक
- 3-श्री बाबूलाल बडाय्या पुत्र श्री रामेश्वर लाल बडाय्या निवासी 57-58 ड्रीम होम सोसायटी, विष्णु गार्डन टोंक रोड सांगानेर जयपुर राज. पार्टनर मैसर्स छोटी लाल लकडा 407-411, रामगंज अनाज मण्डी जयपुर राज.
- 4-मैसर्स छोटी लाल लकडा 407-411, रामगंज अनाज मण्डी जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पैरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री अरुण कुमार जैन उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 05.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2022 को समय 12:30 पीएम पर मैसर्स मोतीलाल कमलेश कुमार बस स्टैण्ड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री अरुण कुमार जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अरुण कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 40 पैकेट पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 ग्राम पैक बेसन (लकडा जी ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अरुण कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अरुण कुमार जैन के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर



किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह बेसन (लकडा जी ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 967 एवं पैकिंग की दिनांक 30.08.2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बेसन (लकडा जी ब्राण्ड) 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में रखकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3300, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3300 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अरुण कुमार जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स छोटी लाल लकडा 407-411, रामगंज अनाज मण्डी जयपुर राज. का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3075 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /3041/एक्ट/2022/3066 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया बेसन (लकडा जी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Misbrand) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अरुण कुमार जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट/दोष नहीं हैं। मात्र इसके लेबल पर Expiry/Use by अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का



अन्यतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस बेसन (लकडा जी ब्राण्ड) विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Misbrand) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया बेसन (लकडा जी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Misbrand) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रुपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रुपये 40,000/- (अक्षरे चालीस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
न्याय निर्णय अधिकारी
दौक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौक-राज0